न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या 320/2017/225 आरटीए

मादा पुत्री जमालदीन पत्नि आरफ जाति मुसलमान निवासी ढालियां तहसील व जिला हनुमानगढ़।

––अपीलान्ट

–: बनाम :–

1. मुसैद मोहम्मद उर्फ नेक खां पुत्र जमालदीन जाति राठ मुसलमान निवासी ढालिया तहसील हनुमानगढ़।
2. सफेद मोहम्मद उर्फ अलीशेर पुत्र जमालदीन जाति राठ मुसलमान निवासी ढालिया तहसील हनुमानगढ़।
3. हलीमा पत्नि जमालदीन जाति राठ मुसलमान निवासी ढालिया तहसील हनुमानगढ़।

–– रेस्पोडेंटस

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 04.07.2017 न्यायालय सहायक कलैक्टर हनुमानगढ़
प्र0सं0 161/2009 अनवानी मुसैद मोहम्मद बनाम हलीमा आदि

उपस्थित :–
श्री ओमप्रकाश मोदी अधिवक्ता अपीलाण्ट
श्री बलविन्द्रसिंह अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1

निर्णय दिनांक –28.08.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार हैं कि रेस्पो0 सं. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद प्रस्तुत कर इसके साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए पेश किया तथा वादग्रस्त भूमि के संबंध मे स्थगन आदेश चाहा गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को बिना सुने अभियान के दौरान दिनांक 23.02.2010 को जारी अन्तरिम आदेश को अपीलाधीन आदेश के जरिये दिनांक 04.07.2017 को ताफैसला वाद कन्फर्म कर दिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।
2. उभय पक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे अपीलांटा द्वारा धारा 10 सपठित धारा 151 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। पत्रावली मे जवाब प्रार्थना पत्र के लिए तारीख पेशी 17.05.17 निश्चित थी। दिनांक 17.05.17 को पीठासीन अधिकारी राजस्व अभियान प्रशासन आपके द्वार मे होने के कारण पत्रावली न्यायालय मे पेशी मे नही आई और न्यायालय द्वारा कोई आगामी तारीख पेशी नही दी गई। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांटा व उसके वकील को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही पत्रावली बिना तारीख पेशी के ही राजस्व अभियान प्रशासन आपके द्वार कैम्प सतीपुरा मे ले जाकर दिनांक 04.07.17 को अपीलांटा के विरूद्ध निर्णय पारित कर दिया जो काबिले खारिज है। प्रकरण मे अपीलांटा द्वारा वकील नियुक्त किया हुआ है। पत्रावली जवाब प्रार्थना पत्र धारा 10 सीपीसी के लिए निश्चित थी। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांटा के वकील को सुनवाई का

अवसर दिये बिना निर्णय पारित किया है। राजस्व अभियान प्रशासन आपके द्वार मे केवल उन्ही प्रकरणों का निर्णय किया जा सकता है जिसमे पक्षकारान ने राजीनाम पेश किया हो। विवादित प्रकरणों का निर्णय अभियान मे नही किया जा सकता। विवादित प्रकरण का अदालत मे दोनो पक्षो की बहस सुनकर ही निर्णय किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय मे दर्ज किया है कि अस्थायी निषेधाज्ञा कन्फर्म करने मे किसी पक्षकार को नुकसान नही है। इस संबंध मे अपीलांटा का निवेदन है कि अस्थायी निषेधाज्ञा कन्फर्म करने से अपीलांटा को अहम नुकसान है। अपीलांटा रिकार्डेड खातेदार है। एक रिकार्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती। अधिवक्ता अपीलांटा ने अपनी बहस के समर्थन मे आरआरटी 2016–17 पेज 566 न्यायिक दृष्टांत पेश किये। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावें।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 ने अपनी बहस मे अपील मे वर्णित तथ्यों का खण्डन करते हुये कथन किया कि अपीलांट द्वारा बिना किसी आधार के गलत व झूठे तथ्यों पर अपील पेश की गई है। रेस्पो0 सं. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद प्रस्तुत कर इसके साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए पेश किया तथा वादग्रस्त भूमि के संबंध मे स्थगन आदेश चाहा गया जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 23.02.2010 को अन्तरिम स्थगन आदेश पारित किया गया जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ताफैसला वाद कन्फर्म किया गया है जो सही है। चूंकि उक्त स्थगन आदेश पूर्व मे भी प्रभावी था जिसे मात्र दावा मे निर्णय तक की कन्फर्म किया गया है जो सही एवं विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलांटा खारिज योग्य होने के कारण अपील खारिज की जावें।

5. बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं इस न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने एवं बहस सुनने के उपरांत निष्कर्ष है कि रेस्पो0 सं. 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि के संबंध मे प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 23.02.2010 को अस्थाई निषेधाज्ञा जारी अन्तरिम आदेश पारित किया गया जिसे अपीलाधीन आदेश के जरिये लोक अदालत मे ताफैसला वाद कन्फर्म कर दिया गया। अपीलाधीन आदेश पारित होने से पूर्व अपीलांटस को सुनवाई का अवसर प्रदान नही किया गया तथा प्रार्थना पत्र बाबत कोई विवेचना की गई। जबकि किसी भी पत्रावली का न्यायिक निस्तारण केवल न्यायालय परिसर मे ही किया जा सकता है, केवल राजीनामा व सहमति के आधार पर पत्रावलियों का निस्तारण न्यायालय के अतिरिक्त किसी कैम्प मे विधि अनुसार किया जा सकता है। हस्तगत प्रकरण राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट मे निस्तारित किया गया है तथा एकपक्षीय रूप से बिना सहमति पत्रावली का निस्तारण कर दिया, जो किसी भी प्रकार से विधिसम्मत नही होने के कारण अपीलाधीन आदेश की पुष्टि की जाकर यथावत रखा जाना उचित नही है। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलांट

स्वीकार की अपीलाधीन आदेश अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है।

6. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.07.2017 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि दोनो पक्षो को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए मे पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। उभय पक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 24.09.2018 को उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 28.08.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरभान मीणा आर.ए.एस.)
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official